

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 रा0उ0प्रा0वि0 काऊ का खेड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चिमनाराम पुत्र हरिराम, 2 श्याम सुन्दर पुत्र कुशलाराम 3 मनोज कुमार पुत्र कुशलाराम 4 रमेश कुमार पुत्र कुशलाराम, 5 कुन्ता देवी पुत्री कुशलाराम 6 संगीता पुत्री कुशलाराम 7 अणसी पत्नी कुशलाराम 8 माणकचन्द पुत्र हरिराम 9 तोलाराम पुत्र गिरधारीराम 10 रामाराम पुत्र गिरधारीराम 11 नारायणराम पुत्र गिरधारीराम 12 धनीदेवी पत्नी गिरधारीराम 13 राजेश पुत्र मोतीराम 14 विनोद पुत्र मोतीराम 15 सुरेश पुत्र मोतीराम 16 अणसी देवी पत्नी मोतीराम 17 मालाराम पुत्र मिश्रीलाल 18 सुगनाराम पुत्र रावताराम जाति ब्राह्मण निवासी काऊ का खेड़ा, कवास तहसील व जिला बाड़मेर

1. मगाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट 2 माडूदेवी पत्नी बीजाराम जाति जाट 3 मगाराम पुत्र पीराराम जाति जाट 4 मेहाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट 5. दुर्गाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट 6 गोर्धनराम पुत्र मोडाराम जाति जाट 7 गवरी पत्नी मोडाराम जाति जाट 8 अचलाराम पुत्र भरमलराम जाति जाट 9 देदाराम पुत्र भारमलराम जाति जाट 10 मानाराम पुत्र भारमलराम जाति जाट 11 मानाराम पुत्र पैमाराम जाति जाट 12 किरतुराराम पुत्र किरपाराम जाति जाट 13 रेखाराम पुत्र किरपाराम जाति जाट 14 अचलाराम पुत्र सुखराम जाति जाट 15 पोककरराम पुत्र सुखराम जाति जाट 16 गोमाराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-100/2019 दिनांक-02.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा काऊ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 338 रकबा 102.05 बीघा, खसरा नंबर 339 रकबा 45.10 बीघा कुल 147.15 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6190 - 6193

दिनांक- 02/11/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी चिमनाराम पुत्र हरिराम वगैराह जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा, कवास तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण मगाराम पुत्र खुमाराम वगैराह जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा, कवास